X अभिशासन, मानव संसाधन विकास तथा संगठनात्मक प्रबंधन

कार्यों की विविधता तथा परिचालन परिवेश में बढ़ती हुई जटिलताओं के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के प्रयास जारी रखे हैं। उच्च अभिशासन का उच्च स्तर बनाए रखने के अलावा क्षमता निर्माण, संप्रेषण और पारदर्शिता को और बेहतर बनाने तथा संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक ने प्रकाशनों, सम्मेलनों, सेमिनारों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान तथा जानकारी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना सतत जारी रखा है । कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने तथा अन्य जोखिम जिनका बैंक सामना कर रहा है, का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा उद्यमव्यापी जोखिम प्रबंधन के प्रति अनेक पहल की गईं। आशा की जाती है कि इससे परिचालनात्मक जोखिम कम होगा तथा विभिन्न आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने पर, उनका सामना करने की केन्द्रीय बैंक की क्षमता मजबूत होगी और इस प्रकार रिज़र्व बैंक लोक-हित में सेवाएं प्रदान करता रहेगा ।

X.1 रिज़र्व बैंक ने नए स्टाफ की भर्ती करते हुए तथा मौजूदा स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण भी प्रदान करने के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को मजबूत करने का कार्य जारी रखा है। रिज़र्व बैंक की संप्रेषण नीति ने पारदर्शिता, जनता को व्यापक स्तर पर ज्ञान-प्रसार और उन्हें उनके दैनंदिन जीवन में आ रहे वित्तीय जोखिमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है । संप्रेषण नीति के अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। संगठनात्मक ढाँचे के प्रति पहल में से एक महत्वपूर्ण फोकस था परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन तथा उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढाँचे के माध्यम से कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करना । वर्ष 2013-14 के दौरान ईआरएम ढाँचे को पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए काफी प्रगति हुई ।

अभिशासन में सुधार के उपाय

अभिशासन का ढाँचा

X.2 भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, और लोकहित, पारदर्शिता तथा सार्वजनिक जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलता है, समानता और निष्पक्षता इसका चिंतन है तथा आम आदमी की आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदारी लेता है और विविधतापूर्ण एवं समावेशी स्थिति की ओर आगे बढ़ता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक में अभिशासन के ढाँचे में केन्द्रीय निदेशक मंडल शीर्ष संस्था है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिज़र्व बैंक की सामान्य नीति, कार्यनीति, प्रशासन तथा कारोबार उसकी निर्दिष्ट भूमिका के अनुसार हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष आनेवाली चुनौतियों का सामना करता है । केन्द्रीय मंडल की बैठक की अध्यक्षता गवर्नर करते हैं तथा उन्हें रिज़र्व बैंक के कार्यों के प्रबंधन में चार उप गवर्नर तथा नौ कार्यपालक निदेशकों की सहायता प्राप्त होती है ।

X.3 21 निदेशकों की संपूर्ण संख्या के एवज में केन्द्रीय मंडल में वर्तमान में 17 निदेशक हैं तथा चार रिक्तियां सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के कारण हैं । इसके अलावा, बैंक में देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा गठित चार स्थानीय बोर्ड हैं । भारत सरकार केन्द्रीय मंडल में निदेशकों की तथा चार स्थानीय बोर्डों में सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन करता है। फिलहाल, केन्द्रीय मंडल की तीन समितियां (केन्द्रीय बोर्ड समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड) तथा केन्द्रीय बोर्ड भी चार उप-समितियां (लेखा-परीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति) हैं ।

केन्द्रीय बोर्ड और इसकी समिति की बैठकें

X.4 अभिशासन को सुधारने के मद्देनज़र बोर्ड और उनकी समितियों की बैठकों को सुव्यवस्थित, अभिकेंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों की संख्या संवैधानिक रूप से न्यूनतम तक घटा दी गई है तथा संसाधनों और समय को बचाने हेतु प्रौद्योगिकी का फायदा उठाया जा रहा है । वर्ष 2013-14 (जुलाई 2013 - जून 2014) के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की

6 बैठकें हुईं । इनमें से चार बैठकें परंपरागत केन्द्रों (चेन्नै, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली) में तथा दो बैठकें गैर-परंपरागत केन्द्रों (रायपुर, शिमला) में आयोजित की गईं । श्री पी.चिदंबरम, माननीय वित्त मंत्री ने 07 मार्च 2014 को नई दिल्ली में आयोजित लेखानुदान बैठक के बाद केन्द्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया ।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में हुई चर्चाएं सामान्य पर्यवेक्षण और रिज़र्व बैंक के कार्यों को दिशा तथा उनके अधिदेश के अनुरूप राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों तथा विकास को समर्थन देने में रिज़र्व बैंक की भूमिका से जुड़ी हुई थीं ।

X.5 वर्ष (जुलाई 2013 से जून 2014) के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की समिति की छियालीस साप्ताहिक बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं । समिति ने रिज़र्व बैंक के चालू कारोबार पर विचार करने तथा निर्गम और बैंकिंग विभागों से संबंधित रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक लेखों को अनुमोदन प्रदान करने का कार्य किया ।

X.6 गवर्नर ने विभिन्न स्थानों में आयोजित केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों के समय संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया । इन अधिकारियों के साथ ऐसी चर्चाओं के दौरान सामान्यतः बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराए जाने, वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी - चालित बैंकिंग सेवाओं/उपायों का प्रयोग, ऋण की उपलब्धता में वृध्दि, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (ईबीटी) योजनाओं, स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को विकसित करने, ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाए जाने तथा मुद्रा प्रबंधन मामलों को शामिल किया गया ।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशक/सदस्य - परिवर्तन

नामांकन

X.7 वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री गुरूदयाल सिंह संधु को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत श्री राजीव टकरू के स्थान पर 01 अप्रैल 2014 से केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक (सरकार नामिती) नामित किया गया । श्री अज़ीम प्रेमजी 20 सितंबर 2013 से केन्द्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नहीं रहे ।

X.8 श्री के.वेंकटेसन, श्री डी.वी.सालगांवकर और श्री जे.बी. पटेल 27 जनवरी 2014 से पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नहीं रहे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार डॉ. रामनाथ उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे ।

नियुक्तियां

X.9 श्री आर. गांधी को 03 अप्रैल 2014 से रिज़र्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्होंने उसी दिन से कार्यभार ग्रहण किया ।

X.10 हारुन आर. ख़ान को 4 जुलाई 2014 से दो वर्ष के लिए या आगे के आदेश तक, जो भी पहले हो, उप-गवर्नर के रूप में दुबारा नियुक्त किया गया है।

X.11 श्री एस.एस. मूंदड़ा को उनके कार्यग्रहण की तारीख अर्थात् 31 जुलाई 2014 से तीन वर्ष के लिए या आगे के आदेश तक, रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने उसी तारीख से उप-गवर्नर का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सेवानिवृत्तियां/पदत्याग

X.12 श्री आनंद सिन्हा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद 20 जनवरी 2014 को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के पद का त्याग कर दिया ।

X.13 डॉ. के. सी. चक्रबर्ती ने 25 अप्रैल 2014 को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर का पद त्याग दिया ।

X.14 श्री. एम. वी. राजीव गौड़ा, 12 जून 2014 से राज्य सभा में चयनित होने के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 11(5) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य तथा केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नहीं रहे।

कार्यपालकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

X.15 श्री एस.करूप्पासामी, कार्यपालक निदेशक 31 जनवरी 2014 को कारोबार की समाप्ति के समय से सेवानिवृत्त हो गये ।

X.16 श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक 20 अप्रैल 2014 से रिज़र्व बैंक स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए ।

X.17 श्री एन.एस.विश्वनाथन, श्री यू.एस.पालीवाल और श्री चंदन सिन्हा, प्रधान मुख्य महाप्रबंधकों को 25 अप्रैल 2014 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया ।

विदेशी विशिष्ट अतिथियों का दौरा

X.18 वर्ष के दौरान 20 देशों से 38 शिष्ट मंडलों ने बैंक का दौरा किया । शिष्ट मंडल ने वैश्विक आर्थिक स्थिति, धारणीय और संतुलित वैश्विक वृध्दि हेतु ढांचे, आपसी व्यापार तथा द्विपक्षीय संबंधों तथा बैंक के कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में बैंक की नीति संबंधी पहल सहित व्यापक मुद्दों पर शीर्ष प्रबंध-तंत्र के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया । वर्ष 2013-14 के दौरान दौरा करने वाले विदेशी विशिष्ट अतिथियों की सूची अनुबंध-I में दी गई है ।

संप्रेषण प्रक्रिया में की गई पहल

X.19 रिज़र्व बैंक की संप्रेषण रणनीति का मुख्य आधार पारदर्शिता, समयबध्दता और विश्वसनीयता रही है । बड़े पैमाने पर जानकारी अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, डाटा और भाषण के माध्यम से बैंक की वेबसाइट पर प्रसारित की जाती है । रिज़र्व बैंक अपने अधिकतम हितधारकों तक पहुंच बनाने के प्रयास में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करता है । उदाहरण के तौर पर मौद्रिक नीति संबंधी संप्रेषण, गवर्नर के मौद्रिक नीति वक्तव्य का सीधा प्रसारण तथा प्रेस कांफ्रेंस को अब मोबाइल फोन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तथा टेलीवीजन चैनलों एवं वेबकास्टिंग की सहायता से मौद्रिक नीति संबंधी घोषणाओं को सीधे दिखाया जाता है ।

X.20 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने 2,500 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं । वेबसाइट का कुल आकार तकरीबन 75 जीबी तक बढ़ गया है । फीडबैक प्राप्त करना रिज़र्व बैंक की संप्रेषण गातिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, विनियामक तथा बाज़ार संबंधी मुद्दों के बारे में 3 रिपोर्टों के प्रारूप और 5 दिशानिर्देशों के प्रारूप वेबसाइट पर जनसामान्य के अभिमतों के लिए जारी किए गए ।

वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता अभियान

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के जमाकर्ता

X.21 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कुछेक कपटपूर्ण जमा योजनाओं के प्रकाश में आने के बाद एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया था । इस जागरूकता कार्यक्रम में 'प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न' नामक प्रकाशन निकाला गया जिसमें एनबीएफसी से जुड़े समस्त मुद्दों को शामिल किया गया था और 02 सितंबर, 2013 से लगातार विज्ञापन जारी किए गए हैं । रिज़र्व बैंक ने अगले कदम के रूप में एनबीएफसी के सभी विनियामकों को चंडीगढ़ के टाउनहाल में उन कंपनियों के ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए एकत्रित किया था । इस प्रकार की पहल का उद्देश्य विनियामकों और जनता को एनबीएफसी से जुड़े मुद्दों के बारे में संवेदी बनाना था । रिज़र्व बैंक ने कंपनी कार्य मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य विभाग के साथ मिलकर भी संयुक्त अभियान में भाग लिया । 217 समाचारपत्रों में 11 भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी के अलावा) में विज्ञापन दो बार में प्रकाशित किए गए । यह प्रचार अभियान निरंतर जारी रहेगा ।

जाली प्रस्ताव

X.22 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जाली प्रस्तावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में पूरे देश में दो बार विज्ञापन जारी किए गए थे (09 अप्रैल 2013 को पहली बार में 608 समाचार पत्रों में और दूसरी बार 19 जून, 2013 को 210 समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए)। यह कार्य उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के 'जागो ग्राहक जागो' श्रृंखला के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग के साथ मिलकर किया गया था । रिज़र्व बैंक ने उसके नाम से कतिपय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ की गई जाली वेबसाइट के बारे में मई 2014 में चेतावनी सूचना जारी की थी, जाली वेबसाइट में विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया था और जनसाधारण से 'आरबीआई बचत खाता' आनलाइन खोलने के लिए कहा गया था । इस जाली प्रस्ताव के संबंध में जागरूकता अभियान को व्यापक बनाने के लिए जाली प्रस्ताव से संबंधित 30 सेकंड के आडियो स्पाट्स 59 आल इंडिया रेडियो (विविध भारती चैनलों सहित) तथा 22 निजी एफएम चैनलों के (145 निजी एफएम रेडियो स्टेशनों) पर प्रसारित किए गए थे ।

मुद्रास्फीति आधारित सूचकांकित बाण्ड

X.23 रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति आधारित सूचकांकित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचयी (आइआइएनएसएस-सी) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21-31 दिसंबर, 2013 के दौरान एक प्रारंभिक विज्ञापन और उसके बाद 3 विज्ञापन जारी किए जो 14 भाषाओं में 23 बड़े परिचालन वाले समाचारपत्रों में थे और पुनः मार्च 2014 के दौरान हिंदी एवं अंग्रेजी सहित 46 समाचार पत्रों में 13 भाषाओं में विज्ञापन जारी किए गए । एक जागरूकता कार्यक्रम लोकप्रिय रेडियो एफएम चैनल पर और निवेशकों के सम्मेलन में आयोजित किया गया था ।

स्व-मूल्यांकन

X.24 रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति के संबंध में संप्रेषण वित्तीय बाजार के सहभागियों को संवेदी बनाने तथा उसकी मौद्रिक नीति के रुझान की स्वीकार्यता को बढ़ाने में काफी हद तक सफल रहा है । हालांकि, इसकी संप्रेषण नीतियों का आंतरिक मूल्यांकन करते समय यह पाया गया था कि 2013-14 की पहली छमाही में जब वित्तीय बाजार दबाव में था उस समय इसके संप्रेषण में थोड़ा अंतराल आ गया था । रिज़र्व बैंक अपनी संप्रेषण नीतियों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत प्रक्रिया के साथ अपना आंतरिक मूल्यांकन तरीका अपनाता है ।

सेमिनार

X.25 रिज़र्व बैंक ने अपने प्रकाशनों की पहुंच को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान 4 अंचलों में 4 संपर्क सेमिनार आयोजित किए । इन सेमिनारों में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा वरिष्ठ संकाय-सदस्यों ने भाग लिया था ।

रिज़र्व बैंक का शैक्षिक दौरा

X.26 संचार विभाग, रिज़र्व बैंक की वित्तीय शिक्षण पहल के रूप में 2006 से रिज़र्व बैंक में शैक्षिक दौरे आयोजित करता रहा है । पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार के दौरे महाविद्यालयों और प्रबंधन स्कूलों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं । विभाग ने जुलाई 2013 से जून 2014 के बीच ऐसे 40 दौरे आयोजित किए जिसमें 2000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था । दौरों में सहभागिता मुख्य रूप से स्कूलों, महाविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वरिष्ठ नागरिक समूहों, महिला समूह तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की थी ।

अनुसंधान और धर्मदाय योजनाएं

X.27 रिज़र्व बैंक स्टाफ के अनुसंधान प्रकाशन, जैसे-रिज़र्व बैंक अकेजनल पेपर्स और वेब-आधारित रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज बड़े पैमाने पर मैक्रो-इकॉनॉमिक एवं नीति के मुद्दों के संबंध में आंतरिक तकनीकी और विश्लेषणात्मक अनुसंधान का निरंतर एक बड़ा प्लेटफार्म रहा है । अनुसंधान पहल को और आगे ले जाने के लिए, रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज और रिज़र्व बैंक अकेजनल पेपर्स में योगदान पहले केवल रिज़र्व बैंक के स्टाफ तक ही सीमित था, जिसे बाहरी अनुसंधानकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से फरवरी 2014 से प्रकाशित करने की अनुमति दे दी गई है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग पेपर सिरीज मार्च 2011 से प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत जून 2014 तक अनेक मुद्दों से संबंधित 56 पेपर अपलोड किए गए ।

X.28 रिज़र्व बैंक इन-हाउस अनुसंधान के अलावा, धर्मदाय योजनाओं के माध्यम से अकादमी और अनुसंधान संस्थाओं में बाह्य अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और बढ़ावा देता है, साथ ही विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में रिजर्व बैंक का प्रोफेशनल पद (चेयर) स्थापित करना, मध्यावधि अनुसंधान परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करना, सम्मेलन/ कार्यशालाएं /सेमिनार के आयोजन में सहायता देना, जर्नल के प्रकाशन और अकादमिक संस्थाओं के संकाय-सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना तथा विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययन (सहयोग से) का आयोजन शामिल है । अब तक 40 डीआरजी अध्ययनों को प्रकाशित किया जा चुका है और अकादमी संस्थाओं के संकाय-सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 पेपर पूरे किए जा चुके हैं ।

X.29 भारतीय रिज़र्व बैंक ने *निधीयन योजना* के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान आइएसआइ-आरबीआइ (डीएसआइएम) की शुरुआत की है, जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आइएसआई), कोलकाता ने एक वर्ष के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के मान्यकरण और सुधार के लिए चार प्रस्तावों पर कार्य करने की सहमति दी है। बैंक ने प्रो. के.एन.एज स्मारक राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति योजना जो बैंक

ने 2012 में प्रारंभ की थी, की श्रृंखला में प्रथम शिक्षावृत्ति डॉ. रवि कानबर, प्रोफेसर अर्थशास्त्र, कार्नेल विश्वविद्यालय, अमरीका को उनके 'अनौपचारिकता : कारण, परिणाम और नीतिगत प्रतिक्रिया' विषय पर अनुसंधान के लिए प्रदान की । बैंक ने अनुसंधान पेपर को जून 2014 में जारी किया था ।

मानव संसाधन संबंधी पहल

प्रशिक्षण और कौशल वृध्दि से संबंधित की गई पहल

X.30 रिज़र्व बैंक अपने मानव संसाधन के तकनीकी एवं व्यवहारगत कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यकतानुसार ज्ञान व कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान करता है । बैंक की 6 प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् - रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी),चेन्नै, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी),पुणे और मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै में चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र इसकी आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं (सारणी X.1)

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.31 रिज़र्व बैंक द्वारा 2013-14 में भारत में बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और सम्मेलनों में 798 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया । बैंक के श्रेणी III और श्रेणी IV के बहुत से कर्मचारियों को भी वर्ष के दौरान बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था । बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए भी 530 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था । (सारणी X.2)

सारणी X.1 : रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान - आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2011-12 (जुलाई - जून)		2012-13 (जुलाई - जून)		2013-14 (जुलाई - जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै,	125	2,492	126	2,676	140	3,302*
सीएबी, पुणे	190	5,647	164	5,105	168	5,149@
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी I)	116	2,098	116	2,526	116	2,559
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी III)	35	639	64	1,492	92	2,006
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी IV)	65	1,237	58	1,184	56	1,076

*: 58 विदेशी सहभागी शामिल है।
@: 48 विदेशी सहभागी शामिल हैं।

सारणी X.2 : भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या (बाहरी संस्थाएं)	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2011-12	1,072	511
2012-13	874	510
2013-14	798	530

X.32 बैंक के सात अधिकारियों ने वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन-अवकाश लिया था। इसके अलावा, 442 कर्मचारियों ने 2013-14 के दौरान चुनिंदा अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा ग्रहण की ।

सार्क वित्त छात्रवृत्ति

X.33 रिज़र्व बैंक ने 2013 से सार्क सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों/वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए भारत में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है । इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 2014-15 में बांगलादेश और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के दो अधिकारियों को क्रमशः अर्थशास्त्र में पीएचडी करने और अर्थशास्त्र में मास्टर्स करने के लिए चयन किया है ।

दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक (सियासेन)

X.34 बैंक, सियासेन (एसईएसीईएन) का जनवरी, 2013 में सदस्य बना और वर्ष के दौरान उसकी अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय रूपसे भाग लिया तथा 'प्रतिचक्रीय बफर सहमति बनानाः एशियाई अनुभवजन्य जांच' विषय पर अनुसंधान अध्ययन का नेतृत्व करने के लिए अपने एक अधिकारी को 'आगंतुक अनुसंधान अर्थशास्त्री' के रूप में प्रतिनियुक्त किया ।

अनुदान और धर्मदाय

X.35 रिज़र्व बैंक ने 2013-14 के दौरान बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कनसल्टेंसी के क्षेत्र में गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को 220 मिलियन रुपये; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल), मुंबई को 60.5 मिलियन रुपये, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम), पुणे को 15.9 मिलियन रुपये, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम), गुवाहाटी को 5.10 मिलियन रुपये तथा लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स में इंडिया आबजर्वेटरी एवं आईजी पटेल पद (चेयर) की स्थापना के लिए 10 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

आरबीआई क्विज

X.36 वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई अखिल भारतीय अंतर-स्कूल क्विज, वर्ष 2013 में पूरे भारत में 42 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की गई जिसका आंचलिक एवं अंतिम (फाइनल) चक्र मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें 2000 स्कूलों और 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया । आंचलिक और पूरे राष्ट्र के अंतिम चक्र (फाइनल) की क्विज दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर भी प्रसारित की गई जिससे बैंक के इस आयोजन और उसके प्रयासों को व्यापक प्रचार मिला।

संगठनात्मक प्रबंधन में की गई पहल

X.37 रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वर्तमान स्टाफ के कौशल-उन्नयन के अलावा, संगठनात्मक ढांचे को मज़बूत बनाने तथा नई प्रतिभाओं को लाने के लिए भी पहल की।

औद्योगिक संबंध

X.38 रिज़र्व बैंक ने प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग के बीच स्वस्थ संबंध क़ायम रखने के लिए मान्यता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों /कामगारों की एसोसिएशनों/फेडरेशनों से वर्ष के दौरान स्टाफ कल्याण एवं सेवा स्थितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया है। वर्ष के दौरान कर्मचारी-प्रबंधन के संबंध स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहे हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005

X.39 रिज़र्व बैंक में वर्ष के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 7041 अनुरोध सूचना के लिए तथा 1130 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं जिसमें से सभी के जवाब दिए गए। बैंक ने अपने स्टाफ के लिए आरटीआई के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र पर 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

भर्ती

X.40 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013 (जनवरी-दिसंबर) में 574 कर्मचारियों की भर्ती की, जिनमें से 92 अनुसूचित जाति (एससी) और 39 अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी की थी, जो कुल भर्ती का 22.82 प्रतिशत था (सारणी X.3)।

स्टाफ संख्या

X.41 रिज़र्व बैंक की 31 दिसंबर, 2013 को कुल स्टाफ संख्या 17,360 थी जो दिसंबर, 2012 के अंत में 17,714 थी। कुल स्टाफ संख्या में से 20.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति (अजा) और 7.0 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (अजजा) थे (सारणी X.4)।

X.42 वर्ष 2013 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ठ फेडरेशन ने रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के बारे में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 बार मुलाकात की । 31 दिसंबर 2013 को रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की संख्या 1513 थी (सितंबर 1993 के बाद की गई भर्ती)। इनमें से 429 श्रेणी I में, 1554 श्रेणी III में और 530 श्रेणी

सारणी X.3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती - 2013 *

भर्ती की श्रेणी	श्रेणीवार-संख्या				
	कुल	जिनमें से		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	90	10	9	11.1	10.0
श्रेणी III	406	71	28	17.5	6.9
श्रेणी IV	78	11	2	14.1	2.6
ए) अनुरक्षण परिचर	16	2	0	12.5	0.0
अन्य	62	9	2	14.5	3.2
कुल	**574**	**92**	**39**	**16.0**	**6.8**

*: जनवरी - दिसंबर

सारणी X.4 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

श्रेणी	श्रेणीवार संख्या						कुल संख्या में प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं. 2012	31 दिसं. 2013	31 दिसं 2013	31 दिसं 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	8,132	7,864	1,154	1,133	563	499	14.4	6.3
श्रेणी III	3,716	3,916	603	586	395	252	15.0	6.4
श्रेणी IV	5,866	5,580	1,874	1,764	660	463	31.6	8.3
कुल	**17,714**	**17,360**	**3,631**	**3,483**	**1,618**	**1,214**	**20.1**	**7.0**

टिप्पणी : अजा : अनुसूचित जाति अजजा : अनुसूचित जनजाति

IV में हैं। रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या दिसंबर 2013 के अंत में 923 थी, जिनमें से 178 श्रेणी I में, 145 श्रेणी III में और 600 श्रेणी IV में थे। रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2013 के अंत में विकलांग कर्मचारियों की संख्या श्रेणी I, III. IV में क्रमशः 200, 92 और 99 थी।

X.43 29 जून, 2014 को कुल स्टाफ संख्या 17,334 थी जो एक वर्ष पूर्व 17,449 थी । श्रेणीवार स्टाफ संख्या सारणी X.5 में दी गई है ।

X.44 कार्यालय/स्थानवार स्टाफ के वितरण से पता चलता है कि रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुंबई (केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित) में कुल स्टाफ संख्या के 29.5 प्रतिशत स्टाफ हैं जिसमें स्टाफ-सदस्यों की संख्या लगातार सबसे अधिक है, उसके बाद कोलकता में 8.4 प्रतिशत, चेन्नै में 7.1 प्रतिशत और नई दिल्ली में 6.5 प्रतिशत स्टाफ हैं (सारणी X.6)।

व्यापक मानव संसाधन प्रणाली (सीएचआरएस) परियोजनाएं

X.45 रिज़र्व बैंक ने प्रचलित मानव संसाधन प्रणाली (एचआर) को कारोबारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) में बदलने की परियोजना प्रारंभ की है और उसके लिए एक व्यापक मानव संसाधन प्रणाली लागू की जा रही है। बीपीआर कार्य के लिए एक कन्सल्टैंट की सेवाएं ली गई हैं और परियोजना को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कार्यान्वित करने के लिए भी परामर्शी सेवाएं ली जा रही हैं। कन्सलटैंट ने बीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वर्तमान मानव संसाधन प्रक्रिया में अनेक सुझाव दिए हैं। रिज़र्व बैंक ने इन सुझावों की जांच करने के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि समस्त मानव संसाधन संबंधी वित्तीय लेनदेन को सहज बनाने के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना की जाए। इस प्रयोजन से एक सिस्टम-इंटीग्रेटर का अभिनिर्धारण किया गया है।

सारणी X.5 : श्रेणीवार वास्तविक स्टाफ-संख्या
(29 जून, 2014 की स्थिति)

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
श्रेणी I	
1. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड एफ	96
2. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड ई	333
3. वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड डी	306
4. अधिकारी ग्रेड सी	1,097
5. अधिकारी ग्रेड बी	1,449
6. अधिकारी ग्रेड ए	4,466
7. कोषपाल	3
8. उप कोषपाल	2
9. सहायक कोषपाल	0
10. इक्जीक्यूटिव इन्टर्न्स	69
कुल (ए)	**7,801**
श्रेणी III	
1. वरिष्ठ सहायक	262
2. सहायक	1,888
3. सचिवालय सहायक	47
4. शब्द संसाधक सहायक	210
5. विशेष सहायक (टेलर)	964
6. श्रेणी III (अन्य)	367
कुल (बी)	**3,738**
श्रेणी IV	
1. अनुरक्षण स्टाफ	1,545
2. सेवा स्टाफ	3,357
3. तकनीकी स्टाफ	157
4. अन्य स्टाफ	736
कुल (सी)	**5,795**
रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या (ए+बी+सी)	**17,334**

सारणी X.6 : रिज़र्व बैंक में कार्यालयवार स्टाफ-संख्या

(29 जून, 2014 की स्थिति)

कार्यालय (उप-कार्यालयों सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	5	3	0	**8**
अहमदाबाद	300	177	233	**710**
बेंगलूर	452	163	233	**848**
बेलापुर	138	59	197	**394**
भोपाल	167	97	126	**390**
भुवनेश्वर	157	94	184	**435**
चंडीगढ़	197	70	130	**397**
चेन्नै	487	339	399	**1,225**
देहरादून	22	5	2	**29**
गंगटोक	7	0	0	**7**
गुवाहाटी	210	134	202	**546**
हैदराबाद	327	135	263	**725**
जयपुर	253	127	193	**573**
जम्मू@	97	46	61	**204**
कानपुर	242	167	298	**707**
कोच्चि	37	37	27	**101**
कोलकाता	537	428	498	**1,463**
लखनऊ	178	77	127	**382**
मुंबई	650	354	1042	**2,046**
नागपुर	258	194	253	**705**
नई दिल्ली	578	234	321	**1,133**
पणजी, गोवा	18	2	3	**23**
पटना	192	108	218	**518**
पुणे -सीएबी-सी आरडीसी-आईटीपी	67	24	79	**170**
रायपुर	18	4	0	**22**
रांची	15	7	0	**22**
शिलांग	7	3	0	**10**
शिमला	12	3	0	**15**
तिरुवनंतपुरम	214	93	144	**451**
कुल	**5,842**	**3,184**	**5,233**	**14,259**
कें.का. विभाग #	**1,959**	**554**	**562**	**3,075**
सकल योग	**7,801**	**3,738**	**5,795**	**17,334**

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र।
आईटीपी : आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे।
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है।
# : डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय विभाग।

यह परियोजना 2014-15 में दो चरणों में संपन्न होगी । पहले चरण में वेतन-पर्ची के कार्यान्वयन का कार्य होगा जिससे प्रशासन को एक केंद्रीकृत स्थान से कार्य करने का फायदा मिलेगा और दूसरे चरण में भर्ती, प्रतिभा प्रबंधन और प्रशिक्षण व नियोजन मॉड्यूल का कार्य पूरा किया जाएगा ।

सदाचार संहिता और अभिशासन

X.46 ईमानदारी, रिज़र्व बैंक की प्रमुख शक्ति रही है। नवंबर 2013 के प्रारंभ से बैंक ने 'कार्य पर सदाचार' नामक सदाचार संहिता अपनाया है। यह संहिता, बैंक के सभी कर्मचारियों पर सभी स्तर पर लागू है, जिसमें मुख्य रूप से नए भर्ती कर्मचारियों और सेवारत स्टाफ-सदस्यों दोनों को अपेक्षित नैतिकता मानकों से अवगत कराया गया है।

यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निपटान

X.47 रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त, 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए 1998 में एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की थी । इन दिशानिर्देशों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं निवारण) नियम, 2013 के प्रवाधानों के अनुसार संशोधित किये जाने की आवश्यकता है । अतः, बैंक इस प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए नवीन व्यापक दिशानिर्देश तैयार कर रहा है । इन दिशानिर्देशों को 2014-15 के दौरान जारी करने का प्रस्ताव है ।

राजभाषा

X.48 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान अपने कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा नीति की सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के अतिरिक्त सभी सांविधिक और अन्य प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। बैंकिंग अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली का संशोधित संस्करण बढ़ती मांग के कारण वर्ष के दौरान पुनः मुद्रित कराया गया।

X.49 बैंक ने वर्ष के दौरान कई अंतर-बैंक और आंतरिक हिंदी प्रतियोगिताएं एवं अनेक हिंदी समारोह आयोजित किए। राजभाषा अधिकारियों का दो-दिवसीय सम्मेलन मई 2014 में और अनुवाद पर राजभाषा सेमिनार अक्तूबर 2013 में रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नै में आयोजित किया गया। राजभाषा विभाग की गतिविधियों पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई ।

X.50 बैंक ने वर्ष के दौरान टंककों से इतर स्टाफ-सदस्यों (अधिकारियों सहित) के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किए और 120 प्रशिक्षार्थियों ने भारत सरकार द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। वर्ष के दौरान बैंकिंग विषयों से संबंधित हिंदी पत्रिका 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के दो विशेष अंक प्रकाशित किए गए जिसमें बैंकिंग से संबंधित मूल रूप से हिंदी में लेख लिखे गए थे। पत्रिका का एक विशेष अंक *ग्राहक सेवा* (अक्तूबर-दिसंबर 2013) से संबंधित था और दूसरा पत्रिका के प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया था। यह कार्य, तिमाही न्यूजलेटर 'राजभाषा समाचार' और हिंदी पुस्तिका 'टिप्पण मार्गदर्शिका' के अतिरिक्त था।

X.51 संसदीय राजभाषा समिति ने हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 03 जुलाई, 2013 को बैंक के केंद्रीय कार्यालय का दौरा किया था। समिति ने बैंक में समग्र रूप से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कार्यों की सराहना की और हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कतिपय सुझाव दिए।

रिज़र्व बैंक परिसरों का प्रबंधन

X.52 परिसर विभाग, बैंक के अनुरक्षण तथा भौतिक सुविधाओं के उन्नयन का कार्य देखता है। विभाग का मुख्य फोकस सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करना, वातावरण को अनुकूल बनाने की पहल करना तथा उसकी विद्युत संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना था।

भौतिक रूप से सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाना

X.53 बैंक ने केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान सीसीटीवी प्रणाली को चरणबद्ध रूप से अगले 2 वर्षों में सभी कार्यालयों में इंटरनेट प्रोटोकोल पर आधारित क्लोज्ड सर्किट टेलिविज़न (सीसीटीवी) प्रणाली से बदल दिया जाएगा। बैंक के केंद्रीय कार्यालय परिसर में परिमापी सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से एक्सेस कंट्रोल कार्ड आधारित टर्न्सटाइल प्रणाली स्थापित की गई है और इसी प्रकार की प्रणाली अन्य कार्यालयों में भी लगाई जाएगी। बैंक परिसर के नकदी कार्य वाले क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए शूटिंग बोल्ट इंटरलाकिंग प्रणाली मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में सफलापूर्वक लागू हो जाने के बाद अन्य सभी कार्यालयों में लागू की जाएगी। बैंक परिसर में वाहनों के प्रवेश पर रेडियो-फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रणाली की स्थापना से संबंधित प्रायोगिक परियोजना का कार्य बेंगलूर कार्यालय में शुरू कर दिया गया है।

हरित पहल

X.54 प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण, वातावरण की सुरक्षा के लिए तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को बेहतर बनाने हेतु, बैंक के लिए हरित नीति तैयार की गई है और उसे केंद्रीय बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

X.55 सौर्य-ऊर्जा प्राप्त करने और कार्बन बनने को कम करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित एक कार्यालय में ग्रिड इंटरएक्टिव रुफटाप सौर्य ऊर्जा संयंत्र (2x6.24 के डब्लू पी) को स्थापित करने की प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई, और संयंत्र को जुलाई 2013 में स्थापित कर दिया गया है। पावर प्लांट ने 14,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न की और लगभग 11,000 किलोग्राम कार्बनडाइआक्साइड को कम किया। उसके बाद चेन्नै कार्यालय ने भी 10 के डब्लू पी का सौर्य पावर प्लांट लगाया है। इन परियोजनाओं को चरणबद्ध रूप से अन्य कार्यालयों में भी लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रो-मेकैनिकल प्रणाली का उन्नयन

X.56 कार्यालयों में एनर्जी की बचत करने तथा आग लगने के खतरे को कम करने के लिए ऊर्जाक्षम केंद्रीकृत अबाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) प्रणाली पूरे कार्यालय में है और बैंक के सभी कार्यालयों में स्थापित की गई है।

X.57 क्षमता-शक्ति बढ़ने तथा ध्वनि-रहित तरीके से ऊपर जाने की गुणवत्ता, ऊर्जा कम ग्रहण करने, विभिन्न वोल्टेज विभिन्न फ्रिक्वेंसी (वी 3 एफ) वाली लिफ्ट अहमदाबाद कार्यालय में लगाई गई है और अन्य कार्यालयों जैसे - तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नई दिल्ली तथा बैंक की मुंबई स्थित कालोनियों - धनास्त्रा, मालाड, गोकुलधाम और दिल्ली में वसंत बिहार में भी ऐसी ही लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है। भोपाल कार्यालय में लिफ्ट बदलने के लिए उक्त प्रकार की लिफ्ट हासिल करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। रिज़र्व बैंक के पटना तथा नागपुर कार्यालयों में एनर्जी की बचत करने वाली केंद्रीय वातानुकूलन प्रणाली स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है।

बैंक में उद्यमगत व्यापक जोखिम प्रबंधन

X.58 रिज़र्व बैंक को सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों को करने के लिए काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रिज़र्व बैंक ने अपनी आंतरिक जोखिम प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिए वर्ष 2012 में उद्यमगत जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे को लागू किया था, जो 'जोखिम -गवर्नेंस ढांचा'[1] तथा थ्री-टियर 'जोखिम प्रबंधन ढांचा'[2] पर आधारित है। यह ढांचा बैंक को इस योग्य बनाएगा कि वह संगठनात्मक स्तर पर सामना किए जा रहे जोखिमों पर सकल रूप से नज़र रख सके और इन जोखिमों को जोखिम नीतियों एवं जोखिम वहन करने की सीमा के अनुरूप नियंत्रित कर सके।

X.59 ईआरएम ढांचे को ऊपर-से नीचे तथा नीचे-से-ऊपर दोनों को मिलाकर लागू किया जाएगा। ऊपर-से-नीचे की ओर दृष्टिकोण में ऊपरी जोखिमों की शिनाख्त कर ली गई है और उन्हें स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, ईआरएम जोखिम नीतियां तथा पद्धतियां लागू की जा रही हैं ताकि पूरे बैंक में जोखिमों को पहचानने एवं उनका मूल्यांकन करने में एकरूपता रहे। नीचे-से-ऊपर की ओर दृष्टिकोण में, कारोबारी क्षेत्र के लिए जोखिम रजिस्टरों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

X.60 वर्ष के दौरान, जोखिम निगरानी विभाग ने 'परिचालनगत जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति' प्रारंभ की है ताकि विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में परिचालनगत जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनकी रेटिंग समान आधार पर की जा सके और जोखिम का शुरू में पता लगते ही उसके लिए योजना (हीट-मैप) तैयार की जा सके। जोखिम की एक शब्दावली तैयार की गई है और जोखिम का वर्गीकरण किया गया है ताकि पूरे बैंक में जोखिम का पता लगाने और वर्गीकरण करने के लिए एक जैसी भाषा का इस्तेमाल हो सके। साथ ही, जोखिम निगरानी विभाग द्वारा इस संबंध में दिशानिर्देश एवं कंप्यूटरीकृत फार्मेट जारी किए गए हैं ताकि जोखिम रजिस्टर तैयार किए जा सकें और जोखिम संबंधित एमआइएस को मज़बूत बनाया जा सके। घटना की रिपोर्टिंग करने का एक आनलाइन फार्मेट भी रखा गया है ताकि घटनाएं /घटना घटित होते-होते रह गई, के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार की जा सके। साथ ही, बैंक में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजन से, केंद्रीय कार्यालय के सभी विभागों / क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम प्रबंधन ढांचे का विकास अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो, रिज़र्व बैंक ने 2014 में अंतरराष्ट्रीय परिचालनगत जोखिम कार्य समूह (आइओआरडब्लूजी) से स्वयं को जोड़ा है। यह समूह 57 केंद्रीय बैंकों का समूह है जो एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिसपर केंद्रीय बैंक सर्वोत्तम प्रथाओं और जोखिम प्रबंधन के तरीकों को परस्पर-रूप से बांटते हैं।

X.61 वित्तीय जोखिमों के संबंध में, बैंक के तुलन-पत्र के संबंध में, एक सुदृढ़ प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन तंत्र लागू किया गया हैं, अधिकांश एक्सपोजर्स को उच्च गुणवत्ता वाली संपार्श्विक से समर्थित किया गया है। बाज़ार जोखिम का नियंत्रण, पोर्टफोलियो इष्टतमीकरण तकनीक से किया जाता है। मौद्रिक/विनिमय दर नीति के कार्यों के मामले में, की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेते समय अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में जोखिमों/लागतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता विषयों के आगे तुलनपत्र पर विचार किया जाना गौण हो जाता है। हालांकि, रिज़र्व बैंक इस बात पर पैनी निगाह रखता है कि उसे किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास इतनी वित्तीय समुत्थान-शक्ति है कि वह उन जोखिमों को आत्मसात कर ले। बैंक, मौद्रिक / विनिमय दर नीति परिचालनों से उत्पन्न होने

[1] जोखिम गवर्नेंस ढांचा शीर्ष स्तर पर केंद्रीय बोर्ड पर आधारित है, जिसे बोर्ड की लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (बैंक के स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं) और जोखिम निगरानी समिति द्वारा सहायता प्राप्त है, जोखिम निगरानी समिति शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है जिसके अध्यक्ष आरएमडी के प्रभारी गवर्नर होते हैं।

[2] जोखिम प्रबंधन ढांचा का आशय ऐसे थ्री-टियर ढांचे से है जो कारोबारी क्षेत्र जिसे बचाव की पहली पंक्ति कहा जाता है और जो प्राथमिक रूप से उसके जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि जोखिम निगरानी और जोखिम सुनिश्चयन (लेखापरीक्षा/निरीक्षण) क्रमशः दूसरी और तीसरी पंक्ति के जोखिम बचाव स्तर हैं।

वाले जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों का सामना करने के लिए आकस्मिक भंडार रखते हैं।

X.62 कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) कार्य के महत्व को देखते हुए रिज़र्व बैंक की मौजूदा कारोबार निरंतरता प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समर्पित बीसीएम ढांचे का अनुमोदन किया गया है और बैंक उसे लागू करने की प्रक्रिया में है। इस ढांचे से, किसी भी अवरुद्धता घटना के हो जाने के बाद भी, प्रणाली वापस क्षमता प्राप्त कर लेगी और उसके कार्य लगातार जारी रहेंगे।

बैंक में आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण

X.63 बैंक, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जांच/मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता एवं भरोसेमंद होने की रिपोर्टिंग के लिए, तीव्र जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) ढांचे के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण एवं अभिशासन हेतु एक सुव्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाता है तथा अपने केंद्रीय बोर्ड की लेखा-परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को नियमित रूप से फीडबैक उपलब्ध कराता है। परिचालनों में जोखिमों का मूल्यांकन करने के अलावा, ऐसी लेखा-परीक्षा जो 'मुद्रा का महत्व' दृष्टिकोण पर हो और सिद्धांतों पर बनी हो - मितव्ययिता, क्षमता और प्रभावशालिता को आरबीआइए की पद्धति की मूलभूत विशेषता के रूप में अपनाता है। निरीक्षण विभाग ने आरबीआइए के अंतर्गत 16 क्षेत्रीय कार्यालयों (शाखा कार्यालयों सहित), 9 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों, 14 केंद्रीय कार्यालय विभागों तथा 1 प्रशिक्षण संस्थान की लेखा-परीक्षा/निरीक्षण का कार्य किया है। बैंक के सभी वित्तीय कार्य, संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली के अधीन हैं। बैंक के मुद्रा प्रबंध के कार्य और प्रक्रियाओं का शुरू से अंत तक का मूल्यांकन वर्टिकल लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। नियमित आरबीआइए के हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की सभी कार्यालयों (तीन डाटा केंद्रों सहित) में की गई।

X.64 बैंक, आरबीआइए ढांचे के हिस्से के रूप में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, वेबसाइट और डाटाबेस का असुरक्षा मूल्यांकन-भेदन जांच (वीए-पीटी) भी करवाता है। वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की सार्वजनिक वेबसाइट की वीए-पीटी की अनुपालन लेखा-परीक्षा की गई थी। बेहतर सुरक्षा विशेषताओं सहित पुनर्निमित आइएस संरचना पर विचार करते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों/ विभागों द्वारा आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आईटी अनुप्रयोगों/प्रणालियों के स्व-मूल्यांकन प्रमाणन की प्रणाली 5 महानगर केंद्रों पर प्रारंभ की गई है, जो तत्कालीन निरंतर आश्वासन लेखा-परीक्षा व्यवस्था के स्थान पर शुरू की गई है।

X.65 केंद्रीय बोर्ड की एआरएमएस को यह आदेश है कि वह केंद्रीय बोर्ड को निगरानी कार्यों में निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा एवं निगरानी द्वारा सहायता प्रदान करे, एआरएमएस ने वर्ष के दौरान तिमाही अंतराल पर 4 बैठकें की और बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की समीक्षा की तथा उस संबंध में सामान्य निर्देश दिए।

बैंक को आदर्श केंद्रीय बैंक के रूप में बदलने के लिए और अधिक पहल की योजना

X.66 वर्ष 2013-14 में बैंक ने लगातार विकसित हो रहे वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य में केंद्रीय बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों के सामने उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर पहल की हैं। इस दिशा में बैंक ने संगठनात्मक पुनर्संरचना की एक रूपरेखा तैयार करने की आंतरिक रूप से पहल की है ताकि बढ़ते हुए वित्तीय क्षेत्र को सेवाएं दी जा सकें जिसके फलस्वरूप देश में स्थिरता के साथ विकास हो सकेगा । इससे प्रबंधकीय सहयोग बेहतर होगा और स्टाफ विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता भी विकसित कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक द्वारा जिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए बैंक अपने मानव संसाधनों के मूल्यांकन पर भी फोकस कर रहा है, जिसमें कौशल संबंधी अंतराल की पहचान करने पर ध्यान दिया जा रहा है और उसे ज्ञान-प्रबंधन, क्षमता-निर्माण से दूर किया जा रहा है तथा अभिप्रेरणा स्तरों को बेहतर बनाने और कार्य की बढ़ती मात्रा को संगठन के संसाधन के अनुरूप बनाने एवं अधिक क्षमता पैदा करने के लिए नीति को उस प्रकार उन्मुख करने के लिए मानव संसाधन नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। परिचालनगत और वित्तीय जोखिमों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित

करने और कारोबार की निरंतरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बैंक विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख जोखिमों की पहचान करने प्रक्रिया में है जो उसकी आंतरिक जोखिम प्रबंधन रणनीति का केंद्र बिंदु होगा। इस संबंध में एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू करने की दिशा में की गई पहल, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। बैंक की यह भी योजना है कि एक विज़न-वक्तव्य लाया जाए जो उसके प्रमुख उद्देश्यों और मूल्यों अथवा साझा सिद्धांतों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करेगा, जो संगठनात्मक निर्णयों और कर्मचारियों के कार्यव्यवहार को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है - सर्वश्रेष्ठ के अनुसरण के साथ-साथ मैक्रो-इकॉनॉमिक और वित्तीय स्थिरता, जबकि संगठनात्मक मूल्य प्रदर्शित करने वाले सिद्धांतों में शामिल हैं - सार्वजनिक हित, निष्ठा, वैचारिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही, प्रतिक्रियाशील, गवेषणा और नवोन्मेष। मौद्रिक नीति के ढांचे को संशोधित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक अत्यधिक मौलिक परिवर्तन जिसकी वकालत की गई है, वह है बदलती हुई मौद्रिक नीति और उसकी संशोधित परिचालन संरचना को देखते हुए अभिशासन ढांचे की स्थापना करना, ताकि एक स्वतंत्र और जवाबदेह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के माध्यम से बदलती मौद्रिक नीति एवं परिचालन ढांचे के अनुसार मौद्रिक नीति का निर्धारण हो सके ।